न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1733–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–03–2013 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील डॉ.अम्बेडकर नगर महू जिला इंदौर के प्रकरण कमांक 56/अपील/2011–12.

.....

1–श्रीमति मीराबाई बेवा छगनलाल यादव
2–श्री धिरेंन्द्र उर्फ धीरज पिता छगनलाल यादव
3–श्री वीरेंन्द्र पिता स्व.छगनलाल यादव
निवासीगण ग्राम किशनगंज तहसील महू,
जिला इंदौर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

सखाराम पिता श्री लक्ष्मणराव दाते,
निवासी रेल्वे कॉलोनी तहसील महू जिला इंदौर

..... अनावेदक

.....

श्री आर0आर0कश्यप, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री अजय पाटीदार, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 15/10/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी तहसील डॉ.अम्बेडकर नगर महू जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–3–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 1 पृष्ठ कमांक 1 सन् 1996–97 के प्रस्ताव कमांक 5/27/11/96 पर पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 30–11–1996 के विरूद्ध प्रथम अपील

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 28–7–12 को लगभग 15 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण अनावेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 56/अपील/11–12 दर्ज कर प्रकरण में प्रारंभिक तर्क हेतु नियत किया गया । प्रकरण प्रचलन रहने के दौरान आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 एवं संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं होने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–3–13 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदकगण-की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं रहा है और न ही उसका कोई पक्ष रहा है, ऐसी स्थिति में अनावेदक तृतीय पक्षकार होता है, जिसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है और ऐसे पक्षकार द्वारा यदि अपील प्रस्तुत की जाती है, तब उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लेनी अनिवार्य होती है और सर्वप्रथम अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाती है तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जाती है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से अपील प्रचलन योग्य नहीं थी, इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर दिनांक 12–2–13 को बहस सुनी

गई, परन्तु आदेश पारित नहीं हो सका और प्रकरण में आदेश हेतु दिनांक 26–2–13, 14–3–13 एवं 21–3–13 पेशियॉ नियत की गई है । दिनांक 21–3–13 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया जाकर आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के आवेदन पत्र के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र पर भी आदेश पारित कर दिया गया । इस प्रकार धारा 5 के आवेदन पर आवेदकगण को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया ।

(3) अनावेदक की ओर से अत्यधिक विलम्ब से लगभग 15 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई थी । अतः बिना आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये असाधारण विलम्ब को क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना की गई है ।

तर्क के समर्थन में 1965 जेएलजे नोट नम्बर 111, 1996 आरएन 145 एवं 309 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में अनावेदक हितबद्ध पक्षकार होने से उसे अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, अतः आवेदकगण की ओर से उठाया गया यह आधार निरर्थक है कि अनावेदक अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, अतः उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ।

(2) अनावेदक के पिता द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र 1अ/786 दिनांक 18–2–1991 से प्रश्नाधीन भूमियॉ क्रय की गई है, जिसकी सम्पूर्ण जानकारी आवेदकगण को रही है, इसके बावजूद भी उनके द्वारा अवैधानिक रूप से नामान्तरण कराया गया है । इस कारण अनावेदक को अपील प्रस्तुत करने की अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी ।

(3) चूँकि नामान्तरण पंजी पर आदेश पारित करने के पूर्व अनावेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी, और उसके पीठ पीछे आदेश पारित किया गया है, जबकि वह हितबद्ध पक्षकार था । अतः आदेश की जानकारी होने के

दिनांक से अनावेदक द्वारा समय सीमा में अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 1/1996–97 के प्रस्ताव कमांक 5/27/11/1996 में पारित आदेश दिनांक 30–12–1996 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 22–4–2013 को उसके पक्ष में पंजीकृत विकय पत्र निष्पादित होने के आधार पर प्रस्तुत की गई है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका कमांक 1 के पति एवं आवेदक कमांक 2 व 3 के पिता स्वर्गीय छगनलाल यादव द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से अनावेदक को विकय की गई है और आवेदकगण द्वारा बिना अनावेदक को पक्षकार बनाये बाला–बाला प्रश्नाधीन भूमि पर अपना वारिसाना नामान्तरण करा लिया गया है । चूँकि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम को कय की गई है, इसलिये वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार था और उसे सूचना दी जाकर पक्ष समर्थन का अवसर देना चाहिये था जो कि नहीं दिया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न्यायदृष्टांत 2005 आर.एन.146 एवं 184 के प्रकाश में प्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने में पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है। इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि चूँकि तहसील न्यायालय में अनावेदक पक्षकार नहीं था, इसलिये उसे अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं थी और अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति लेनी चाहिये थी क्योंकि इस प्रकरण में अनावेदक द्वारा भूमि पंजीकृत विकय पत्र से कय की जाकर प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है और उसे बिना सूचना दिये नामान्तरण आदेश पारित किया गया है इसलिये अनावेदक को प्रथम अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है और हितबद्ध पक्ष होने के नाते उसे अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति लिये जाने की आवश्यकता नहीं है । उनका यह तर्क भी उचित नहीं

है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र बिना आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये स्वीकार किया गया है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को सुनकर ही अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया है, कारण व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 के अन्तर्गत आवेदकगण द्वारा जो आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसमें से विलम्ब के संबंध में ही आपत्ति उठाई गई है और उक्त आवेदन पत्र पर आवेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार अनुविभागीय अधिकारी तहसील डॉ.अम्बेडकर नगर महू जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–3–13 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर